



बैंक जमा राश बीमा कार्यक्रम

प्रलिस के लयः

जमा राश बीमा, DICGC

मेन्स के लयः

जमा बीमा और ःण गारंटी नगल (DICGC) की आवश्यकता और जमा बीमा का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने "जमाकर्त्ता प्रथमः 5 लाख रुपए तक गारंटीकृत समयबद्ध जमा बीमा भुगतान" पर नई दल्ली में आयोजत एक समारोह को संबोधत करते हुए कहा की 1 लाख से अधिक जमाकर्त्ताओं (जो बैंकों में के समक्ष उत्पन्न वततीय संकट के कारण अपने धन का उपयोग नहीं कर सके) को 1,300 करोड रुपए का भुगतान कया गया था ।

- जमा बीमा और क्रेडट गारंटी नगल (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation-DICGC) अधनियम के तहत 76 लाख करोड रुपए की जमा राश का बीमा कया गया था, जो लगभग 98% बैंक खातों को पूरण कवरेज प्रदान करता है ।
- इससे पहले केंद्रीय मंत्रमंडल ने [जमा बीमा और ःण गारंटी नगल \(DICGC\) वधियक, 2021](#) को मंजूरी दी थी ।

जमा बीमा: यदकोई बैंक वततीय रूप से वफल हो जाता है और उसके पास जमाकर्त्ताओं को भुगतान करने के लयः पैसे नहीं होते हैं तथा उसे परसिमापन के लयः जाना पडता है, तो यह बीमा बैंक जमा को होने वाले नुकसान के खलाफ एक सुरक्षा कवर प्रदान करता है ।

क्रेडट गारंटी: यह वह गारंटी है जो प्रायः लेनदार को उस स्थतः में एक वशःषट उपाय प्रदान करती है जब उसका देनदार अपना कर्ज वापस नहीं करता है ।

प्रमुख बडु

■ जमा बीमा हेतु सीमा:

- वर्तमान में एक जमाकर्त्ता के पास बीमा कवर के रूप में प्रतःखता अधिकतम 5 लाख रुपए का दावा है । इस राश को 'जमा बीमा' कहा जाता है ।
 - जमा बीमा और क्रेडट गारंटी नगल (DICGC) द्वारा प्रतःजमाकर्त्ता को 5 लाख रुपए का कवर प्रदान कया जाता है ।
- जनि जमाकर्त्ताओं के खाते में 5 लाख रुपए से अधिक हैं, उनके पास बैंक के दवालया होने की स्थतः में धन की वसूली के लयः कोई कानूनी सहाय नहीं है ।
- बीमा के लयः प्रीमयःम प्रत्येक 100 रुपए जमा हेतु 10 पैसे से बढाकर 12 पैसे कर दया गया है और यह सीमा 15 पैसे तक बढाई गई है ।
 - इस बीमा के प्रीमयःम का भुगतान बैंकों द्वारा DICGC को कया जाता है और जमाकर्त्ताओं को नहीं दया जाता है ।
 - बीमति बैंक पछले छमाही के अंत में अपनी जमा राश के आधार पर, प्रत्येक वततीय छमाही की शुरुआत से दो महीने के भीतर अर्ध-वार्षकः रूप से नगल को अग्रमः बीमा प्रीमयःम का भुगतान करते हैं ।

■ कवरेज:

- कषेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय कषेत्र के बैंकों, भारत में शाखाओं वाले वदःशी बैंकों और सहकारी बैंकों सहतः बैंकों को DICGC के साथ जमा बीमा कवर लेना अनवारःय है ।

■ कवर की गई जमा राशःयों के प्रकार:

- DICGC नमःनलखतः प्रकार की जमाराशःयों को छोडकर सभी बैंक जमाओं, जैसे बचत, सावधः, चालू, आवर्ती आदःका बीमा करता है:

- वदिशी सरकारों की जमाराशयिँ ।
- केंद्र/राज्य सरकारों की जमाराशयिँ ।
- अंतर-बैंक जमा ।
- राज्य भूमविकस बैंकों की राज्य सहकारी बैंकों में जमाराशयिँ ।
- भारत के बाहर प्राप्त कोई भी जमा राशि ।
- कोई भी राशि जिसे आरबीआई की पछिली मंजूरी के साथ नगिम द्वारा वशिष रूप से छूट दी गई है ।

■ **जमा बीमा की आवश्यकता:**

- **पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटवि (PMC) बैंक**, **यस बैंक** और **लक्ष्मी वलिस बैंक** जैसे हाल के मामलों में जमाकर्त्ताओं को बैंकों में अपने फंड तक तत्काल पहुँच प्राप्त करने में परेशानी के चलते जमा बीमा के वषिय पर ध्यान आकर्षति कया था ।

DICGC

■ **DICGC के बारे में:**

- यह वर्ष 1978 में संसद द्वारा डर्पोजटि इंशुरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट, 1961 के पारति होने के बाद जमा बीमा नगिम (Deposit Insurance Corporation- DIC) तथा क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लमिटिड (Credit Guarantee Corporation of India- CGCI) के वलिय के बाद अस्ततिव में आया ।
- यह भारत में बैंकों के लयि जमा बीमा और ऋण गारंटी के रूप में कार्य करता है ।
- यह **भारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा संचालति और पूरण स्वामतिव वाली सहायक कंपनी है ।**

■ **फंड:**

- नगिम नमिनलखति नधियों का रख-रखाव करता है:
 - जमा बीमा कोष
 - क्रेडिट गारंटी फंड
 - सामान्य नधि
- पहले दो को क्रमश: बीमा प्रीमियम और प्राप्त गारंटी शुल्क द्वारा वतितपोषति कया जाता है तथा संबंधति दावों के नपिटान के लयि उपयोग कया जाता है ।
- सामान्य नधिका उपयोग नगिम की स्थापना और प्रशासनकि खर्चों को पूरा करने के लयि कया जाता है ।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस